प्रेस नोट दिनांक 25-08-2023

(1). आज दिनाँक 25.08.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(2). आज दिनांक 25.08.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(3). आज दिनांक 25.08.2023 को कालूपुर स्थित क्षेत्राधिकारी कार्यालय कैम्पस में नवीन यातायात पुलिस कार्यालय का पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला ने फीता काटकर उद्धाटन किया। एसपी ने कार्यालय का निरीक्षण किया और इसे यातायात पुलिस की जरूरत के हिसाब से पूरी तरह अनकूल बताया। इसके बाद उन्होने मौके पर मौजूद पुलिस अधीकारी कर्मचारी और गणमान्य लोगो से संवाद भी कायम किया। पुलिस अधीक्षक महोदया ने यातायात पुलिस कर्मियों से यातायात नियमों के बारे में जानकारी ली बाद में कम्प्यूटर कक्ष,मालखाना,व रिकार्ड रूम आदि का निरीक्षण किया और कार्यालय भवन को यातायात पुलिस कार्यालय के लिए उपयुक्त बताया।

पुलिस अधीक्षक महोदया ने कार्यालय परिसर में हरियाली को बढ़वा देने के लिए कैम्पस में लगे पौधों को बड़ा होने तक इनकी देखरेख करने की बात कही।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, पुलिस उपाधीक्षक नगर श्री हर्ष पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी लाइन्स/ यातायात श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय,प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण,यातायात प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार,पीआरओं श्री प्रदीप कुमार पाल सहित यातायात में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

(4). पुलिस लाइन्स स्थित कान्हा सभागार में वृहस्तपतिवार दिनांक 24.08.2023 को क्षेत्राधिकारी लाइन्स/यातायात श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय का जनपद चित्रकूट से जनपद मऊ स्थानान्तरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन कर उन्हे भावभीनी विदाई दी गई।

इस विदाई समारोह की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला तथा मंच का संचालन सुबेदार मेजर उ0नि0 श्री गंगाचरण यादव ने किया। समारोह के दौरान स्थानान्तरित उपाधीक्षक को फूल - माला पहनाकर, बुके व गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय की प्रंसन्सा करते हुए कहा कि इनका कार्यकाल काफी सराहनीय रहा है। इनके स्थानान्तरण होने से हमलोगो को इनकी कमी खलेगी वही स्थानान्तरित उपाधीक्षक श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय ने कहा कि मुझे चित्रकूट की जनता और पुलिस की तरफ से ढेर सारा प्यार और स्नेह मिला, जिसे मैं कभी भूला नही पाऊंगा। अपने चित्रकूट के कार्यकाल में मुझे यहाँ अपनापन लगने लगा था। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी ने कहा कि पदाधिकारियों का आना – जाना लगा रहता है परन्तु कुछ पदाधिकारी ऐसे भी होते है जो अपने कार्य के बदौलत अमीट छाप छोड़ जाते है, जिन्हे लोग भूल नही पाते हैं।
इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय,क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री राजकमल व प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण,पीआरओं श्री प्रदीप कुमार पाल सहित अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दिनेश चन्द्र पाण्डेय तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त मातादीन पुत्र रामसेवक यादव निवासी अरछा बरेठी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 35 किलो 500 ग्राम हरा गांजा व 01 किलो 100 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
बरामदगीः-
35 किलो 500 ग्राम हरा गांजा
1 किलो 100 ग्राम अवैध सूखा गांजा
गिरफ्तारी करने वाली टीमः-
1.उ0नि0 श्री दिनेश पाण्डेय थाना सरधुवा
2. उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा थाना सरधुवा
3. मुख्य आरक्षी अरविन्द सोनी
4. आरक्षी राहुल पुरी
5.आरक्षी लालू यादव
6.आरक्षी दिनेश यादव

(6). आज दिनांक 25.08.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में निरीक्षक अपराध श्री अभयराज सिंह व उनकी टीम द्वारा थाना मऊ के मु0अ0सं0 94/23 धारा 379 भादवि0 की चोरी गयी एक अदद चार पहिया वाहन रेनाल्ट क्विड रजि0 नंबर UP 96 F 9778 सहित 03 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411/419/420/467/468/471 आईपीसी की वृद्धि की गई।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.04.2023 की रात्रि को आरजू जयसवाल पुत्र मानिकलाल निवासी स्वतंत्रा सेनानी कस्बा थाना मऊ जनपद चित्रकूट के घर के सामने से उनका 04 पहिया वाहन रेनाल्ड क्विड रजिस्ट्रेशन नं0 UP 96 F 9778 को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में थाना मऊ मु0अ0सं0 94/23 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात

पंजीकृत कराया गया था। चोरी गये वाहन की बरामदगी के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा प्रभारी निरीक्षक मऊ को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। निर्देश के क्रम में थाना मऊ पुलिस लगातार पतारसी - सुरागरसी में प्रयासरत थी कि मुखविर की सूचना पर थाना मऊ पुलिस टीम द्वारा उक्त चोरी गयी 04 पहिया वाहन रेनाल्ड क्विड को आज दिनांक 25.08.2023 को अशोक चौराहा नहर पुलिया से सूरजी का पुरवा नहर रोड जाने वाली सड़क पर 03 नफर अभियुक्तो द्वारा फर्जी तरीके से नम्बर प्लेट बदल कर उसे बेचने के प्रयास के क्रम में पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. दीपक कुमार उर्फ भोलू द्विवेदी पुत्र चंद्र प्रकाश निवासी शिवपुर तिराहा कस्बा व थाना मऊ चित्रकूट।
2. प्रिंस जायसवाल उर्फ प्रिंस पुत्र अनिल जायसवाल निवासी शिवपुर तिराहा कस्बा व थाना मऊ चित्रकूट।
3. कंचन लाल निषाद पुत्र देशराज निषाद निवासी कोटरा खंभा थाना मऊ चित्रकूट

बरामदगीः-

1. एक अदद चार पहिया वाहन रेनाल्ट क्विड नंबर UP 96 F 9778

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. निरीक्षक अपराध अभयराज सिंह थाना मऊ
2. उ0नि0 श्री इंद्रजीत गौतम थाना मऊ
3. आरक्षी राहुल पांडेय
4. आरक्षी रणवीर सिंह
5. आरक्षी संदीप यादव

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री भास्कर मिश्र एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी पाक्सो कोर्ट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश विशेष पाक्सो चित्रकूट श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 175/2022 धारा 363,376 भादवि0 व 04 पाक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त ध्यान सिंह पुत्र घनश्याम सिंह उर्फ शिवबरन सिंह निवासी पुनहुर मजरा रसपाल का पुरवा थाना अतर्रा जनपद बांदा को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 52 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 20.09.2022 को थाना राजापुर में पीडिता के चाचा द्वारा सूचना दी गयी थी कि ध्यान सिंह उपरोक्त द्वारा मेरी भतीजी को जबरजस्ती भगा कर ले जाना तथा उसके साथ बलात्कार करना। सूचना के आधार पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 175/2022 धारा 363,376 भादवि 04 पाक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त ध्यान सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी थी। दिनाँक 30.09.2022 को गिरफ्तार किया गया था एवं दिनाँक 22.12.2022 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोदया की अध्यक्षता में राघव प्रेक्षागार पुलिस कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया

आज दिनाँक-25.08.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला की अध्यक्षता में राघव प्रेक्षागार पुलिस कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गयी। अपराध गोष्ठी में महोदया द्वारा थाना/चौकी व शाखा प्रभारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गयेः-

(1). थाने पर महिला हेल्प डेस्क एवं साईबर हेल्प डेस्क पर प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का समय से उचित समाधान किया जाये।

(2). महिला बीट आरक्षियों से महिला सम्बन्धी शिकायतों की जांच करवायें।

(3). महिला बीट आरक्षियों का प्रेरित करें कि ज्यादा से ज्यादा महिला चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं को उनके विरुद्ध हो रहे उत्पीडन के प्रति आवाज उठाने के लिये जागरुक करें।

(4). ऑपरेशन दृष्टि के अन्तर्गत लगवाए गये सीसीटीवी कैमरो से निगरानी कर अपराध नियंत्रण और घटनाओं के खुलासे में उनका उपयोग किया जाये जिससे बेहतर पुलिसिंग करते हुये लोगों में खासकर महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत की जा सके।

(5). ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत पॉक्सो एक्ट, बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, धर्मांतरण और गोकशी करने वाले अपराधियों के खिलाफ गुणवत्तापूर्ण जांच कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराना सुनिश्चित करे एवं न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में साक्षीगण की शीघ्र गवाही कराकर पीडित को न्याय दिलवायें।

(5). थाना/चौकी पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से करने हेतु निर्देश दिये गये।

(6). लम्बित विवेचनाओं का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर शीघ्र करना सुनिश्चित करें।

(7). महिला सम्बन्धी अपराध एवं पॉक्सो से सम्बन्धित अभियोगों का निस्तारण समयावधि के अन्दर करें।

(8). टॉप-10, चिन्हित माफियाओं पर कार्यवाही करें।

(9). माल मुकदमाती का निस्तारण ज्यादा से ज्यादा कराना सुनिश्चित करें।

(10). पैदल गस्त की फोटो प्रतिदिन पोर्टल पर अपलोड करते हुये शोहदों/मंचलों के विरुद्ध कार्यवाही करें, साथ-साथ अतिक्रमण वाले स्थानों से अतिक्रमण हटवायें।

(11). एनबीडब्यू का तामीला, वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, वाचक पुलिस अधीक्षक श्री परितोष दीक्षित, प्रभारी सोशल मीडिया सेल निरीक्षक श्री विजय सिंह,प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण ,स्टेनो पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार मिश्रा ,प्रधान लिपिक अनिल मोहमन शुक्ला एवं समस्त थाना/चौकी/शाखा प्रभारी उपस्थित रहे।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री वीर प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा

द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय माननीय न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश चित्रकूट श्री विष्णु कुमार शर्मा द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 228/2016 धारा 302/34,201 भादवि0 के आरोपी अभियुक्तों 1.राजाबाबू रावत पुत्र देशराज रावत निवासी टिकुरा गोविन्द नगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 2. भागीरथ उर्फ कालू बच्चा पुत्र बुधराज निवासी निवासी ठीका पुरवा सरहट थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को उम्रकैद की सजा व प्रत्येक को 12-12 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 31.10.2016 वादी राजा कोल पुत्र गजराज निवासी ठीका पुरवा सरहट थाना मानिकपुर थाने में सूचना दी कि उसका इकलौता बेटा लवलेश गांव के ही भागीरथ उर्फ कालू बच्चा पुत्र बुधराज के साथ दीपावली का सामान खरीदने के लिए बीती 30.10.2016 को शाम के समय मोटरसाइकिल से गया था। बाद वह रात में घर नहीं लौटा और दूसरे दिन उसके साथ गए भागीरथी ने बताया कि मानिकपुर में अस्पताल के पास लवलेश की बाइक खड़ी है। परिवार के लोगों द्वारा खोजने पर खिचरी गांव के शहनी तालाब की पुलिया के पास पानी में लवलेश का शव पड़ा हुआ मिला। साथ ही मोटरसाइकिल का कुछ टूटा हुवा सामान और मिट्टी में मोटरसाइकिल के टायर के निशान मिले थे। मृतक के पिता के अनुसार लवलेश के प्रेम संबंध टिकुरा गांव की एक लड़की से थे। उपरोक्तआरोपी अभियुक्तों दिनाँक 30.12.2016 को गिरफ्तार किया गया था एवं दिनाँक 29.03.2017 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री शैल कुमार सिंह द्वारा की गयी थी।